प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 10 जून, 2021***

विषय:- जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामदास पुत्र श्री रामआसरे, निवासी जनपद-सन्तकबीर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 11.02.2021, दिनांक 22.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामदास पुत्र श्री रामआसरे, ग्राम-मुसहरा, थाना-धर्मसिंहवा, जनपद- सन्तकबीरनगर का निवासी है। बन्दी के गांव के पास के व्यक्ति द्वारा कोलकाता से लाई गयी एक महिला को बंदी व उसके सहअभियुक्त को बेचा जाना, तत्पश्चात बंदी व उसके सहअभियुक्तों द्वारा धमकाकर जबरदस्ती यौन शोषण किये जाने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-58/1987 में भा0द0वि0 की धारा-368, 376, 323 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, तृतीय अतिरिक्त सहायक सत्र न्यायाधीश, बस्ती के आदेश दिनांक 29.11.1988 द्वारा 03 वर्ष की कारावास से दण्डित किया गया है, जिसे पुन: मा0 न्यायालय, तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बस्ती के आदेश दिनांक 12.09.1989 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.07.2019 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 16.12.2020 तक 00 वर्ष 06 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 00 वर्ष 07 माह 07 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट@पुलिस अधीक्षक, सन्तकबीरनगर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। किन्तु दयायाचिका समिति ने बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामदास (बन्दी संख्या-53/2020) पुत्र श्री रामआसरे, निवासी जनपद-सन्तकबीरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-97/2021/833(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सन्तकबीरनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।